रजिस्ट्री संख्या डी. एल.—33001/93 REGISTERED NO. DL-33001/93

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 51] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 18, 1993/अग्रहायण 27, 1915
No. 51] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 18, 1993/AGRAHAYANA 27, 1915

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किये गये साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws etc. of a general Character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)

योजना मंत्रालय

(सांख्यिकी विभाग)

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 1993

सा.का.नि. 513.--राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और कम्प्यूटर केन्द्र (वर्ग 1 और वर्ग 2 पद) भर्ती नियम, 1972 और (कम्प्यूटर केन्द्र) सांख्यिकी विभाग, अपर निदेशक, समूह "क" (कम्प्यूटर केन्द्र) भर्ती नियम, 1984 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है योजना मंत्रालय, नई दिल्ली के अधीन कम्प्यूटर केन्द्र, सांख्यिकी विभाग में अपर निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक और सहायक निदेशक के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए लिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ: (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कम्प्यूटर केन्द्र, सांख्यिकी विभाग (समूह "क" पद) भर्ती नियम, 1993 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना : ये निय इनम नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अन्य अर्हताएं : उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

2774 GI/93—1

5. निरर्हता : वह व्यक्ति--

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6	7
1. अपर निदेशक	1* (1993) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	4100-125-4850-150-5300 रुपये	चयन	50 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तिथि होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।	हां

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
8	9	10
आवश्यक : (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्यिकी/गणित (सांख्यिकी सहित)/संक्रिया अनुसंधान/भौतिक विज्ञान या अर्थशास्त्र में (सांख्यिकी सहित) मास्टर डिग्री या कम्प्यूटर इंजीनियरी/कम्प्यूटर विज्ञान में डिग्री या समतुल्य।	आयु : नहीं शैक्षिक अर्हताएं : हां	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए 1 (एक) वर्ष।

8	9	10
(2) इलैक्ट्रानिक डाटा संसाधन/कम्प्यूटर आधारित सूचना या सांख्यिकीय तंत्र का बारह वर्ष का अनुभव जिसमें से कम से कम 6 (छह) वर्ष का अनुभव वास्तविक कम्प्यूटर कार्यक्रमण और तंत्र या अभिकल्प विकास, कम्प्यूटरीकृत सूचना सुव्यवस्थित करने, संचयन और सुधार तंत्र से संबंधित किसी उत्तरदायी, हैसियत में होना चाहिए। वांछनीय : (1) कम्प्यूटर इंजीनियरी/कम्प्यूटर विज्ञान में मास्टर डिग्री या आवश्यक अर्हताओं में उल्लिखित किसी अन्य विषय में डाक्टरेट। (2) तंत्र विश्लेषण/उन्नत कम्प्यूटर तंत्र पर कार्यक्रमण में प्रशिक्षण। (3) डाटा आधारित प्रबंध सूचना तंत्र के विकास या बड़े पैमाने पर सांख्यिकीय सर्वेक्षण का डाटा संसाधन और ऐसे उपयोजन के लिए प्रक्रिया सामग्री के विकास के क्षेत्र में अनुभव। (4) विभिन्न उपयोक्ताओं को कम्प्यूटर से संबंधित प्रशिक्षण देने का अनुभव। टिप्पण : (1) अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों का दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। (2) अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकता है (हैं) जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने का संभावना नहीं है।		

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती को दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जायेगा
11	12
प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति : सांख्यिकी विभाग के कम्प्यूटर केन्द्र में ऐसा संयुक्त निदेशक, जिसने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है। प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण : केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों का ऐसा अधिकारी :— (क) (1) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (2) जिन्होंने 3700-5000 रु. या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर पांच वर्ष नियमित सेवा की है; या (3) जिन्होंने 3000-5000 रु. या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर "सात" वर्ष नियमित सेवा की है; और (ख) जिनके पास स्तम्भ 8 के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है।

11	12
	टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जायगा परन्तु यह तब जब कि उनकी सेवा से एक वर्ष से अधिक से कम न हो और उन्होंने अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 4 (चार) वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)/स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।)

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायगा
13	14
समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति : (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) : 1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग—अध्यक्ष 2. महानिदेशक, केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन, सांख्यिकी विभाग—सदस्य । 3. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, सांख्यिकी विभाग—सदस्य । 4. कार्यपालक निदेशक, कम्प्यूटर केन्द्र, सांख्यिकी विभाग—सदस्य समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के लिए) 1. सचिव, सांख्यिकी विभाग—अध्यक्ष 2. महानिदेशक, केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन, सांख्यिकी विभाग—सदस्य । 3. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, सांख्यिकी विभाग—सदस्य । 4. कार्यपालक निदेशक, कम्प्यूटर केन्द्र, सांख्यिकी विभाग—सदस्य । टिप्पण : सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की पुष्टि से संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्यवाहियां, संघ लोक सेवा आयोग के अनुमोदनार्थ भेजी जाएंगी। किन्तु, यदि आयोग उनका अनुमोदन नहीं करता है तो विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य की अध्यक्षता में फिर से होगी ।	सीधी भर्ती और किसी अधिकारी की पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए चयन करते समय, संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

1	2	3	4	5	6	7
2. संयुक्त निदेशक	4* (1993) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	3700-125-4700-150-5000 रु.	चयन	45 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।	हां

8	9	10
आवश्यक : (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्यिकी/गणित (सांख्यिकी सहित)/संक्रिया अनुसंधान/भौतिक विज्ञान या अर्थशास्त्र (सांख्यिकी सहित)/वाणिज्य में (सांख्यिकी सहित) मास्टर डिग्री या कम्प्यूटर इंजीनियरी/कम्प्यूटर विज्ञान में डिग्री या समतुल्य। (2) इलेक्ट्रोनिक डाटा संसाधन/कम्प्यूटर आधारित सूचना या सांख्यिकीय तंत्र का 10 (दस) वर्ष का अनुभव जिसमें से कम से कम 5 वर्ष का अनुभव वास्तविक कम्प्यूटर कार्यक्रमण और तंत्र या अभिकल्प विकास, कम्प्यूटरीकृत सूचना सुव्यवस्थित करने, संचयन और सुधार तंत्र से संबंधित किसी उत्तरदायी हैसियत में होना चाहिए। वांछनीय : (1) तंत्र विश्लेषण/उन्नत कम्प्यूटर तंत्र पर कार्यक्रमण में प्रशिक्षण। (2) डाटा आधारित प्रबंध सूचना तंत्र के विकास या बड़े पैमाने पर सांख्यिकी सर्वेक्षण का डाटा संसाधन और ऐसे उपयोजन के लिए प्रक्रिया सामग्री के विकास के क्षेत्र में अनुभव। (3) विभिन्न उपयोक्ताओं को कम्प्यूटर से संबंधित प्रशिक्षण देने का अनुभव। टिप्पण : (1) अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है (2) अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है (हैं) जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	आयु : नहीं शैक्षिक अर्हता : हां	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिये एक वर्ष।

11	12
प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति : सांख्यिकी विभाग के कम्प्यूटर केन्द्र में ऐसा उप निदेशक, जिसने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है। प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण : केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों के ऐसे अधिकारी . (क) (1) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या (2) जिन्होंने 3000–5000 रु. या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर चार वर्ष नियमित सेवा की है; या (2) जिन्होंने 3000–4500 रु. या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर 5 (पांच) वर्ष नियमित सेवा की है; और (ख) जिनके पास स्तम्भ 8 के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं। टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्ति के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनकी सेवा अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा से एक वर्ष से अधिक से कम न हो और उन्होंने अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया 4 (चार वर्ष) से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)/स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

13	14
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) : 1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग—अध्यक्ष 2. महानिदेशक, केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन, सांख्यिकीय विभाग—सदस्य। 3. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, सांख्यिकी विभाग—सदस्य। 4. कार्यपाल निदेशक, कम्प्यूटर केन्द्र, सांख्यिकी विभाग—सदस्य। समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के लिए) : 1. सचिव, सांख्यिकी विभाग—अध्यक्ष 2. महानिदेशक केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन, सांख्यिकी विभाग—सदस्य। 3. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, सांख्यिकी विभाग—सदस्य 4. कार्यपालक निदेशक, कम्प्यूटर केन्द्र, सांख्यिकी विभाग—सदस्य। टिप्पण : सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति की पुष्टि से संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्यवाहियां, संघ लोक सेवा आयोग के अनुमोदनार्थ भेजी जाएंगी। किन्तु यदि आयोग उनका अनुमोदन नहीं करता है तो विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य की अध्यक्षता में फिर से होगी।	सीधी भर्ती और किसी अधिकारी की पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए चयन करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

1	2	3	4	5	6	7
3. उप निदेशक	12* (1993) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित अननुसचिवीय	3000-100-3500-125-4500 रु.	चयन	40 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तिथि होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम मेघालय अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।	नहीं

8	9	10
आवश्यक : (1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्यिकी/गणित (सांख्यिकी सहित)/संक्रिया अनुसंधान/भौतिक विज्ञान या अर्थशास्त्र (सांख्यिकी सहित)/वाणिज्य में (सांख्यिकी सहित) मास्टर डिग्री या कम्प्यूटर इंजीनियरी/कम्प्यूटर विज्ञान में डिग्री या समतुल्य। (2) इलेक्ट्रोनिक डाटा संसाधन/कम्प्यूटर आधारित सूचना या सांख्यिकीय तंत्र का 7 (सात) वर्ष का अनुभव जिसमें से कम से कम चार वर्ष अनुभव वास्तविक कंप्यूटर कार्यक्रमण और तंत्र या अभिकल्प विकास, कम्प्यूटरीकृत सूचना सुव्यवस्थित करने, संचयन और सुधार तंत्र से संबंधित किसी उत्तरदायी हैसियत में होना चाहिए। वांछनीय : (1) कम्प्यूटर प्रक्रिया सामग्री/तंत्र अभिकल्प में अनुसंधान का अनुभव। (2) मुख्य फ्रेम/सुपरमिनी कम्प्यूटर तंत्र कार्यक्रमण/तंत्र अभिकल्प/तंत्र विश्लेषण में औपचारिक प्रशिक्षण। (3) बड़े पैमाने पर डाटा संसाधन उपयोजन का अनुभव। (4) विभिन्न उपयोक्ताओं को कम्प्यूटर से संबंधित प्रशिक्षण देने का अनुभव। टिप्पण : (1) अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। (2) अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है (हैं) जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	आयु : नहीं शैक्षिक अर्हता : हां	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए एक वर्ष।

11	12
(1) 75 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा। (2) 25 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा।	प्रोन्नति : सांख्यिकी विभाग के कम्प्यूटर केन्द्र में ऐसा सहायक निदेशक, जिसने उस श्रेणी में 5 (पांच) वर्ष नियमित सेवा की है। प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण : केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों के ऐसे अधिकारी : (क) (1) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (2) जिन्होंने 2200-4000 रु. या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर पांच वर्ष नियमित सेवा की है; या (3) जिन्होंने 2000-3500 रु. या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर आठ वर्ष नियमित सेवा की है; और (ख) जिनके पास स्तम्भ 6 के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हता और अनुभव है। टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्ति के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनकी सेवा अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा से एक वर्ष से अधिक से कम न हो और उन्होंने अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 3 (तीन) वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)/स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

13	14
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति : (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) : 1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग--अध्यक्ष। 2. कार्यपालक निदेशक या अपर निदेशक, कम्प्यूटर केन्द्र, सांख्यिकी विभाग--सदस्य। 3. उप सचिव, सांख्यिकी विभाग--सदस्य। समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के लिए) : 1. कार्यपालक निदेशक, कम्प्यूटर केन्द्र, सांख्यिकी विभाग--अध्यक्ष। 2. अपर निदेशक, कम्प्यूटर केन्द्र, सांख्यिकी विभाग--सदस्य। 3. उप सचिव, सांख्यिकी विभाग--सदस्य। टिप्पण : सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति की पुष्टि से संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्यवाहियां, संघ लोक सेवा आयोग को अनुमोदनार्थ भेजी जाएंगी। किन्तु, यदि आयोग उनका अनुमोदन नहीं करता है तो विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य की अध्यक्षता में फिर से होगी।	सीधे भर्ती और किसी अधिकारी को पद पर प्रतिनियुक्ति पर, नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

1	2	3	4	5	6	7
4 सहायक निदेशक	29* *(1993) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	2200-75-2800-द.रो.-100-4000 रू०	चयन	35 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।	हां

8	9	10
आवश्यक : (1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्यिकी/गणित (सांख्यिकी सहित)/संक्रिया अनुसंधान/भौतिक विज्ञान या अर्थशास्त्र में (सांख्यिकी सहित) मास्टर डिग्री या कम्प्यूटर इंजीनियरी/कम्प्यूटर विज्ञान में डिग्री या समतुल्य। (2) इलैक्ट्रोनिक डाटा संसाधन/कम्प्यूटर आधारित सूचना या सांख्यिकीय तंत्र का 5 (पांच) वर्ष का अनुभव जिसमें कम से कम तीन वर्ष का अनुभव वास्तविक कम्प्यूटर कार्यक्रमण और तंत्र या अभिकल्प विकास, कम्प्यूटरीकृत सूचना सुव्यवस्थित करने, संचयन और सुधार तंत्र से संबंधित किसी उत्तरदायी हैसियत में होना चाहिए। वांछनीय : (1) अधिमानतः कम्प्यूटर तंत्र पर प्रक्रिया सामग्री अभिकल्प कार्यक्रम में औपचारिक प्रशिक्षण। (2) बड़े पैमाने पर डाटा संसाधन उपयोजन में अनुभव। (3) विभिन्न उपयोक्ताओं को कम्प्यूटर से संबंधित प्रशिक्षण देने का अनुभव। टिप्पण : 1. अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। 2. अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है (हैं) जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है?	आयु : नहीं शैक्षिक अर्हताएं : हां	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए 1 (एक) वर्ष।

Whether benefits of added years of service admissible under Rule 30 of the the CCS (Pension) Rules, 1972.	Educational & other qualifications required for direct recruits.
7	8
Yes	Essential : (i) Master's degree in statistics/Mathematics (with Statistics)/-Operation Research/Physics or Economics (with Statistics) or degree in Computer Engineering/Computer Science of a recognised university or equivalent. (ii) Twelve years experience of Electronic Data Processing/ Computer oriented information or Statistical System out of which at least 6 (six) years experience should be in responsible capacity in actual Computer Programming and System or design development, organising computerised information storage and retrievel systems. Note 1.—Qualifications are relaxable at the discretion of the UPSC in case of candidates otherwise well qualified. Note 2.—The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretions of the UPSC in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes if, at any stage of selection the UPSC is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them. Desirable : (i) Master's degree in Computer Engineering/Computer Science or Doctorate in any of the other subject mentioned in essential qualifications. (ii) Training in System Analysis/Programming on advanced Computer Systems. (iii) Experience in the field of development of data base management information system or processing of large scale statistical survey data & software development for such applications. (iv) Experience in providing computer related training to various users.

Whether age & educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion/transfrer & percentage of the vacancies to be filled by various methods.
9	10	11
Age : No Educational Qualification Yes	1 (One) year for direct recruits.	By promotion failing which by transfer on deputation & failing both by direct recruitment.

In case of recruitment by promotion/deputation/ transfer, geades from which promotion/deputation/ transfer to be made	If a DPC exists what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted making recruitment
12	13	14
Promotion: Joint Director in a Computer Centre of the Deptt. of Statistics with three years regular service in the grade. Transfer on deputation : Officers of the Central/State Government/Union Territories. (a)(i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with five years regular service in posts in the scale of Rs. 3700-5000 or equivalent; or (iii) with seven years regular service in post in the scale of Rs. 3000-5000 or equivalent : and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column 3. Note.—Wheie juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualification/eligibility service by more than one year and have successfully completed their probation period. The Departmetal Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre posts held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the central Government shall ordinarily not exceed 4 (Four) years. The maximum age limit for appointment by transfer on deputation (including short term contract)/(transfer shall be not exceeding 56 years, as on the closing date of receipt of applications).	Group 'A' DPC (for considering promotion) : 1. Chairman/Member, Union Public Service Commission—Chairman. 2. Director General, Central Statistical Organisation, Department of Statistics—Member. 3. Chief Executive Officer, National. sample Survey Organisation, Department of Statistics—Member. 4. Executive Director, Computer Centre, Deptts. of Statistics—Member Group 'A' DPC (for confirmation) : 1. Secretary, Department of Statistics-Chairman. 2. Director General, Central Statistics Organisation, Department of Statistics—Member. 3. Chief Excecutive Officer, National Sample Survey Organisation, Department of Statistics. 4. Executive Director, Computer Centre Department of Satatistics—Member Note.—The proceedings of the DPC relating to confirmation of a direct recruit shall be sent to the Commission for approval, If, however, these are not approved by the Commission a fresh meeting of the DPC to be presided over by the Chairman or a Member of the Union Public Service Commissipn shall be held.	Consultation with the Commission necessary while making direct recruitment and selecting officers for appointment to the post on deputation.

1	2	3	4
2. Joint Director	4 (1993)* *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'A' Gazetted Non-Ministerial	Rs. 3700-125-4700-150-5000

5	6
Selection	Not exceeding 45 years. (Relaxable for Govt. servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Govt.). Note.—The crucial date for determining the age limit sall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J&K State, Lahaul & Spiti Districts and Pangi Sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, the Union territory of Andaman & Nicobar Islands or Union Territory of Lakshadweep).

7	8
Yes.	Essential : (i) Master degree in Statistics/Mathematics (with Statistics)/ Operation Research/Physics or Economics (with Statistics)/ Commerce (with Statistics)/or degree in computer Engineering Computer Science of a recognised University or equivalent (ii) 10 (Ten) years experience or Electronic Data Processing/ Computer oriented information or Statistical system out of which at least 5 years experience should be in responsible capacity in actual computer programming and system or design organising development, organising computerised information storage and retrievel system. Note 1: Qualifications are relexable at the discretion of the UPSC in case of candidates otherwise well qualified. Note 2.—The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the UPSC in the case of candidate belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes, if, at any stage of selection, the UPSC is of the opinion that sufficient number of candidatses from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them. Desirable : (i) Training in system analysis/programming on advanced computer System. (ii) Experience in the field of development of data base management information system or processing of largo scale statistical survey data and software development for such applications (iii) Experience in providing Computer related training to various users.

9	10	11
Age : No Educational qualification :Yes	One year for direct recrits.	By promotion failing which by transfer on deputation & failing both by direct recruitment.

12	13	14
Promotion Deputy Director in Computer Centre of the Deptt. of Statistics with five years of regular service in the grade Transfer on deputation : Officers of the Central/State Government/Union Territories (a)(i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with four years regular service in posts in the scale of Rs 3000-5000 or equivalent; or (iii) with 5(five) years regular service in posts in the scale of Rs 2000-4500 or equivalent; and (b) possessing the educational qualification and experience prescribed for direct recruits under Column 8 Note.— Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite quaification/eligibility service by more than one year and have successfully completed their probation period. The departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly.—Deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in same or some other organisation/Department of the Central Govt. shall ordinarily not exceed 4 (four) years. The medium age limit for appointment by transfer on deputation (including short term contract)/transfer shall not exceed 56 years, as on the closing date of receipt of applications).	Group 'A' DPC (for considering promotion) 1. Chairman/Member, UPSC — Chairman 2. Director General, Central Statistical Organisation, Department of Statistics—Member 3. Chief Executive Officer, National Sample Survey Organisation, Department of Statistics—Member 4 Executive Director, Computer Centre, Department of Statistics—Member Group 'A' DPC (for confirmation) 1. Secrtary, Department of Statistics—Chairman. 2. Director General, Central Statistical Organisation Department of Statistics— Member. 3. Chief Executive Officer, National Sample Survey Organisation, Department of Statistics— Member. 4. Executive Director, Computer Centre, Department of Statistics — Member. Note.—The proceedings of the DPC relating to confirmation of a direct recruit shall be sent to the Commission for approval. If, however, these are not approved by the commission a fresh meeting of the DPC to be presided over by the Chairman or a Member of the UPSC shall be held.	Consultation with the Commission necessary while making direct recruitment and selecting officer for appointment to the post on deputation.

1	2	3	4
3 Deputy Director	*12(1993) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'A' Gazetted. Non-Ministerial	Rs. 3000-100-3500-125-4500

5	6
Selection	Not exceeding 40 years (Relaxable for Govt. servants upto 5 years in accordance with the instructions order issued by the Central Govt.) Note.—The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt application from candidates in India. (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram Manipur, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J&K State, Lahaul & Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba district of Himachal Pradesh, the Union Territory of the Andaman & Nicobar Islands or the Union Territory of Lakshadweep).

Whether benefits of added years of Service admissible under Rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972	Educational & other qualifications required for direct recruits	Whether age & educational qualification prescribed for direct recruit will apply to the case of promotees	Period of probation if any	Method of recruitment whether by direct recuitment or by promotion/ transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods
7	8	9	10	11
Yes	Essential: (i) Master's degree in Statistics/Mathematics (with statistics)/operation Research/Physics or Economics (with Statistics)/Commerce (with statistics) or degree in Computer Engineering/ Computer Science of a recognised university or equivalent. (ii) 7 (Seven) years experience of electronic Data Processing/Computer oriented in formation of Statistical System out of which at least 4 years experience should be in responsible capacity in actual computer programming & system or design development organising computerised information storage & retrieval system. Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of UPSC in case of candidate otherwise well qualified. Note 2 : The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the UPSC in the case of candidates belonging to SC and ST if, at any stage of selection the UPSC is of the opinion that sufficient number of candidates from these comunities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved from them. Desirable: (i) Evidence of research in Computer Software/System design. (ii) Formal training in programming/systems designing systems analysis on main frame/supermini computer system. (iii) Experience of large scale data processing application. (iv) Experience in providing computer related training to various users.	Age : No Educational qualification : Yes	One year for direct recruits	(i) 75% by promotion failing which by transfer on deputation. (ii) 25% by direct recruitment failing which by transfer on deputation.

12	13	14
Promotion: Assistant Director in Computer Centre of the Department of Statistics with 5 (five) years regular service in the grade . Transfer on deputation : Officers of the Central/State Govt./Union Territories. (a) (i) holding analogus posts on regular basis: or (ii) with five years regular service in posts in the scale of Rs. 2200-4000 or equivalent; or (iii) with eigkt years regular service in post in the scale of Rs. 2000-3500; or equivalent and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column 8. Note —Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifications/eligibility service by more than one year and have successfully completed their probation period. The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre posts held immediately preceding this appointment in the same or some other organisations/department of the Central Govt shall ordinarily not to exceed 3 (three) years. The maximum age limit for appointment by transfer on deputation (including short term contract)/transfer shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications).	Group 'A' DPC (for conidering promotion) 1. Chairman/Member,UPSC.—Chairman 2. Executive Director of Additional Director Computer Centre Department of Statistics—Member. 3. Deputy Secretary, Department of Statistics—Member Group 'A' DPC (for confirmation) 1. Executive Director, Computer Centre, Department of Statistics—Chairman 2. Additional Director, Computer Center, Department of Statistics–Member 3. Deputy Secretary, Department of Statistics—Member Note —The proceedings of the DPC relating to confirmation of a direct recruit shall be sent to the Commission for approval. If, however, these are not approved by the Commission a fresh meeting of the DPC to be presided over by the Chairman or a Member of the UPSC shall be held.	Consultation with the Commission necessary while making direct recruitment and selecting officer for appointment to the post on deputation

1	2	3	4	5	6
4. Assistant Director	29 (1993) Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'A' Gazetted Non-Ministerial	Rs. 2200-75-2800-EB-100-4000	Selection	Not exceeding 35 years (Relaxable for Govt. Servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) Note : The Crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not

1	2	3	4	5	6
					the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Tripura Sikkim, Ladakh Division of J&K State Lahaul & Spiti district and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union Territory of the Andaman & Nicobar Islands of the Union territory of Lakshadweep).

7	8	9	10	11
Yes.	Essential : (i) Master's degree in statistics/ Mathematics (with Statistics)/ Operation Research/Physics or Eco. (with statistics) or degree in Computer Engineering/Computer Science of recognised University or equivalent. (ii) 5 (five) year experience of Electronic Data Processing/ Computer Oriented information of Statistical system out of which at least 3 years experience should be in responsible capacity in actual Computer programming and system or design development; organising computerised information stores and retrieval system. Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the UPSC in case of candidates otherwise well qualified. Note 2. The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the UPSC in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes if, at any stage of selection UPSC is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them. Desirable : (i) Formal training in programming software design preferable on computer system. (ii) Experience in large scale data processing applications. (iii) Experience in providing computer related training to various users.	Age : No. Educational qualifications : Yes	1(one) year for direct r cruitment	(i) 20% by promotion failing which by transfer on deputation. (ii) 80% by direct recruits failing which by transfer on deputatin.

12	13	14
Promotion : Sr. Data Processing Assistant in the Computer Centre of the Deptt. with 5(Five) year regular service in the grade Transfer on deputation : Officers of the Central/State Government/Union Territory (a)(i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with 2 (two) years regular service in posts in the scale of Rs. 2375-3500 or equivalent; or iii) with 3 (three years) regular service in the scale of Rs. 2003-3500 or equvalent ; and (b) possessing the educational qualifications prescribed for direct recruits under Column 8. Note : Those juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualification/eligibility service or more than one year and have successfully completed their probation period. The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appoinment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appoitntment by promotion. (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in same or some other organisation/department of the Central Govt. shall ordinarily not exceed 3 (Three) years. The maximum age limit for appointment by transfer on deputation (including short term contract)/transfer shall be not exceeding 56 years, as on the closing date of receipt of applications.	Group 'A' DPC (for considering promotion) 1. Chairman/Member Union Public Service Commission—Chairman 2. Additional Director, Computer Centre, Deptt. of Statistics—Member. 3. Deputy Secretary, Deptt. of Statistics – Member. Group 'A' DPC (for confirmation) 1. Additional Director Computer Centre, Deptt. of Statistics –Chairman. 2. Sr. Most Joint Director, Computer Centre, Deptt. of Statistics— Member. 3. Deputy Secretary Deptt. of Statistics —Member. Note: The proceedings of the DPC relating to confirmation of a direct recruit shall be sent to the Commission for approval. if, however, these are not approved by the Commission a fresh meeting of the DPC to be presided over by the Chairman or a Member of the Union Public Service Commission shall be held.	Consultation with the Commission necessary while making direct *recruitment and selecting* officer for appointment to *the post on deputation.*

[No. A-12011/1/90-Admn. I (CC)]
K.N. SINGH, Dy. Secy.

विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 19 नवम्बर, 1993

सा. का. नि. 614 :—भारत सरकार कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 594 की उपधारा (1) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (कम्पनी विधि प्रशासन विभाग) दिनांक 4 अक्तूबर, 1957 की अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 3216 (जिसे इसके बाद अधिसूचना कहा गया है) में आंशिक उपान्तरण करते हुए भारत सरकार एतद्द्वारा यह निर्देश देती है कि मैसर्स तोशिबा कारपोरेशन (जिसे इसमें इसके बाद कम्पनी कहा गया) के मामले में यह एक विदेशी कम्पनी होने पर उक्त धारा 594 की उपधारा (1) खण्ड (क) की अपेक्षाएं जैसी कि वे किसी विदेशी कम्पनी पर लागू होने के संबंध में अधिसूचना द्वारा उपान्तरित की गई है, निम्नलिखित अपवादों तथा उपान्तरों के अधीन रहते हुये लागू होगी अर्थात :—

यदि कम्पनी 31-3-93, 31-3-94, 31-3-95 को वित्तीय वर्षों की बाबत अपने भारतीय व्यापार लेखाओं के संबंध में भारत में समुचित कम्पनी रजिस्ट्रारों को निम्नलिखित की तीन प्रतियां प्रस्तुत करें तो उक्त धारा 594 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबंधों का पर्याप्त अनुपालन हुआ समझा जायेगा :—

(1) भारतीय शाखा द्वारा प्राप्त प्राप्तियों तथा किये गये भुगतानों का विवरण पत्र जिसका प्रमाणीकरण (1) अधिनियम की धारा 592 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अन्तर्गत आदेशिका की सेवा स्वीकार करने के लिए प्राधिकृत किसी व्यक्ति, तथा (2) भारत में कार्यरत शासप्राप्त लेखापाल द्वारा किया गया है।

(2) उपर्युक्त मद (1) में वर्णित प्रक्रिया में यथानिर्दिष्ट ढंग से प्रमाणित भारत में कम्पनी की परिसम्पत्तियों तथा देयताओं का विवरण, तथा

(3) उपर्युक्त मद (1) में वर्णित व्यक्तियों के द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित उस आशय का प्रमाणपत्र कि कम्पनी ने 31-3-93, 31-3-94, 31-3-95 को समाप्त वर्षों के दौरान भारत में कोई व्यापार नहीं किया।

[संख्या 50/18/93-सी. एल. 3]

धर्मपाल, अवर सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS

(Department of Company Affairs)

New Delhi, the 19th November, 1993

G.S.R. 614.—In exercise of the powers confererd by the proviso to the sub-section (1) of Section 594 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) and in partial modificatoin of the Notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Company Law Administration) No. S.R.O. 3216 dated the 4th October, 1957 (hereinafter referred to as the Notification) the Central Government hereby directs that in case of M/s. Toshiba Corporation (hereinafter referred to as the company) being a foreign company the requirements of clause (a) sub-section (1) of the said section 594 as modified in their application to a foreign company